न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः– श्वेता चौहान (आई0ए0एस0)
कैम्प– पंचायत समिति जवाजा
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 95/2012

1. श्रीमती कान्ता जैन धर्मपत्नि श्री अमृतकुमार जैन आयु बालिग
2. श्री संजय जैन सुपुत्र श्री अमृतकुमार जैन आयु बालिग।
बजरिये मुख्तयार आम श्री अनिल कुमार जैन सुपुत्र श्री प्रकाशचन्द जैन आयु बालिग निवासी सरावगी मौहल्ला ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

————प्रार्थीगण

ब ना म

1. श्रीमती रेणु गुप्ता धर्मपत्नि श्री सुनील गुप्ता आयु बालिग जाति अग्रवाल निवासी ज–1–38 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, ब्यावर जिला अजमेर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 21–08–2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि पद संख्या 1(क) में वर्णित ग्राम देलवाड़ा की आराजी खसरा सख्या 1475/1 रकबा 00–17–10 किस्म बा.2 के खातेदार प्रार्थी संख्या 2 तथा पद संख्या 1(ख) में वर्णित आराजी खसरा संख्या 1476/1 रकबा 01–09–00 किस्म बा.2 के खातेदार प्रार्थी संख्या 1 तथा पद संख्या 1(ग) में वर्णित आराजी खसरा संख्या 1478 रकबा 01–14–10 किस्म बा.2 के खातेदार प्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से चले आ रहे हैं व उक्त भूमियों के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त हैं। उपरोक्त वर्णित भूमियों के दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 1477/1 रकबा 04–12–00 किस्म बारानी 2 स्थित है व उसके आगे आम रास्ता स्थित है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है तथा वादग्रस्त भूमियों के दक्षिण में खसरा संख्या 1477 अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि है व उसके आगे आम रास्ता जो पश्चित से पूर्व की तरफ जा रहा है जिसे परिशिष्ठ "क" में दर्शाया गया है, उक्त रास्ता पश्चिम में आगे जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 में मिलता है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमियों में आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है एवं वे अभी अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी से आ जा रहे हैं, किन्तु रास्ता नहीं होने से काश्त हेतु ट्रेक्टर, टोली नहीं ले जा पा रहे हैं व न ही काश्त कर पा रहे हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से अपने खेतों पर जाने के लिये 30 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने के लिये मौखिक निवेदन किया किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 24.09.2012 को रास्ता देने से इंकार हो गये, इस कारण से यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जिसका वर्णन पद नम्बर 1 में किया गया है, में आने जाने के लिये, अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1477 व/या1477/1 में से जिसे कि संलग्न परिशिष्ट में 30 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1478 तक में जिसे हरे रंग से दर्शाया गया है दिलाया जाय व/या इस भूमि में से कही से भी 30 फिट चौड़ा रास्ता आवागमन हेतु दिलाया जाये, व जितनी भूमि रास्ते की एवज में आये उनकी न्यायोचित कीमत निर्धारित की जाकर प्रार्थीगण से, अप्रार्थी संख्या 1 को दिलाई जाय तथा जो रास्ता न्यायालय दिलाया जाना तय करे उसे रास्ते को रेवेन्यु रेकार्ड में पृथक से नम्बर डाला जाकर रास्ता दर्ज किया जाय एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को प्रदान किया जाये। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 को न्यायालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले रास्ते की भूमि, प्रार्थीगण के कब्जे में रास्ता निर्माण हेतु दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

.....लगातार

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थी ने जिस प्रकार कथन प्रस्तुत किए हैं वह कत्तई गलत, झूठे व अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कथन कत्तई गलत व झूंठा है कि उनके कथित तौर पर कब्जे की भूमि में आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। वस्तुतः कथित तौर पर प्रार्थीगण द्वारा अभिकथित पद संख्या 1 प्रार्थना पत्र की भूमियों से लगते खसरा संख्या 1460 जिसका रकबा 116–13–10 बीघा की भूमि स्थित चली आ रही है। इस भूमि में होकर ही वर्षो से प्रार्थीगण व अन्य भूमियों के खातेदारान काश्तकारान का आवागमन आदि बिना किसी बाधा के अनवरत रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण का यह कथन भी कत्तई गलत व झूंठा है कि कथित रास्ता आगे जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 में मिलता हो। कथित परिशिष्ट "क" ना तो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, ना उसकी कोई प्रतिलिपि ही अप्रार्थिया को उपलब्ध करायी गई है। स्वयं प्रार्थीगण ही निश्चित नहीं है कि वे खसरा संख्या 1477 में से रास्ता चाहता है या कि खसरा संख्या 1477/1 में से। अतः अपूर्ण होने से भी प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। स्वयं प्रार्थीगण अपने इस पद के कथनों को भी विधिवत रूप से प्रमाणित करें। उत्तरकर्ता अप्रार्थिया संख्या 1 ने कभी भी प्रार्थीगण की किसी भी भूमि पर कोई भी काश्त नहीं देखी, ना किसी भी भूमि पर कोई काश्त ही है। अतः कथित तोर पर काश्त हेतु ट्रेक्टर ट्रोली नहीं ले जा पा रहे होने व काश्त नहीं कर पा रहे होने के कथन भी पूर्णतया व प्रथम दृष्टया ही गलत व झूंठे साबित हो जाते हैं। यदि प्रार्थीगण कथित तौर पर कोई काश्त आदि करना भी चाहे जो कि वे कत्तई भी नहीं चाहते हैं तो इस हेतु उनके पास पद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के लगते वर्षो से आवागमन हेतु काफी चौड़ाई का रास्ता स्थित चला आता है। प्रार्थीगण ने कभी भी अप्रार्थिया संख्या 1 को कथित तौर पर रास्ता दिये जाने के लिय कोई भी मौखिक निवेदन नहीं किया है, ना ऐसा कोई अधिकार ही प्रार्थीगण को था, ना है। अतः कथित तौर पर दिनांक 24.09.2012 को इंकार हो जाने की व/या प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की आवश्यकता उत्पन्न होने के कथन भी स्वयंमेव गलत व झूंठे प्रमाणित हो जाते हैं। प्रार्थीगण के पास सदैव से अन्य अनेकों वैकल्पिक रास्ते अपनी कथित आराजियात में आने जाने व ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु उपलब्ध चले आते हैं। प्रार्थना पत्र में अंकित विधिक प्रावधान प्रकरण के तथ्यों एवं पारिस्थितियों में कत्तई भी लागू नहीं होता है। प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के प्रतिकूल प्रस्तुत किया गया है, कि जो न केवल अत्यधिक देरीना है वरन सद्भाविक भी नहीं है। चूंकि प्रार्थना पत्र न्यायिक कार्यवाही एवं प्रक्रिया का स्पष्ट व खुला दुरूपयोग मात्र है, अतः भी निरस्तनीय है।

तहसीलदार ब्यावर ने अपनी बिन्दुवार रिपोर्ट में सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम देलवाड़ा के वादग्रस्त खसरा संख्या 2244/147, 2246/1476 व 1478 में आने जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत खसरा संख्या 2244/1475, 2246/1476 व 1478 में खसरा नम्बर 2256/1460 रकबा 50–11–10 किस्म दांती चरागाह ग्राम पंचायत देलवाड़ा में से होकर आने–जाने के लिये उपयोग करता है। प्रार्थी द्वारा वांछित खसरा संख्या 1477/1 हाल नम्बर 2248/1477 के अतिरिक्त कोई मार्ग उक्त खसरा नम्बरान तक पहुंचने में आसान, नजदीक व सुविधाजनक नहीं है। खातेदार की भूमि के उपरोक्त खसरा नम्बर पर पहुंचने हेतु मुख्य सड़क/मार्ग के बीच हाल खसरा नम्बर 2248/1477 रकबा 04–12–00 किस्म बा.2 पर खातेदार रेणु गुप्ता पत्नि सुशील गुप्ता जाति अग्रवाल साकिन ब्यावर खातेदार के नाम दर्ज है, की भूमि आती है। प्रस्तावित रास्ते में 00–08–00 रकबा प्रभावित होगा। प्रभावित रकबा असिंचित है तथा आस–पास औद्योगिक फैक्ट्रियां संचालित है। प्रस्तावित रास्ता भूमि की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है।

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

.....लगातार

प्रकरण कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में आज सुनवाई हेतु रखा गया। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी के कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे एवं बहस में मौखिक कथन किए कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण को आने जाने हेतु अप्रार्थिया संख्या 1 की भूमि में से रास्ता दिलवाया जावे। वितर्क में अधिवक्ता अप्रार्थी के कथन कमोबेश उनके जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे तथा कथन किए कि जब प्रार्थी की भूमि पर काश्त नहीं की जा रही तो कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं आती है एवं प्रार्थीगण के पास आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिससे वह वर्तमान में आना जाना करता है एवं स्वयं की भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग कर रहे हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज़ किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार ब्यावर ने बहस में मौखिक कथन किए कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग जो प्रार्थीगण की खातेदारी के लगते हुए खसरा संख्या 2256/1460 है, जिससे वह वर्तमान में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग करते हैं एवं जिन्हें कभी आने–जाने से किसी प्रकार से रोका नहीं गया है व ना ही प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात् ग्राम देलवाड़ा का नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। ग्राम देलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2067–70 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 514 में अंकित खसरा संख्या 1475/1 रकबा 00–17–10 किस्म बा.1 प्रार्थी संख्या 2 संजय पुत्र अमृतकुमार जाति जैन निवासी सरावगी मौहल्ला ब्यावर के नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार ग्राम देलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2067–70 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 60 में अंकित खसरा संख्या 1476/1 रकबा 01–09–00 किस्म बा.2 प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार खाता संख्या पुराना 429 नया 61 में अंकित खसरा संख्या 1478 रकबा 01–14–10 किस्म बा.2 में प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होना पाया गया। ग्राम देलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2067–70 की प्रमाणित जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 464 में अंकित खसरा संख्या 1477/1 रकबा 04–12–00 किस्म बा.2 अप्रार्थी संख्या 1 रेणु गुप्ता पत्नि सुनिल गुप्ता कौम अग्रवाल नि. ज.1–38 रीको इण्डस्ट्रियल एरिया ब्यावर खातेदार दर्ज होना पाया गया। मुख्तारनामा आम दिनांक 04 सितम्बर 2012 प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तोवजात ग्राम ब्यावरखास की खसरा गिरदावरी संवत् 2052–55 तथा संवत् 2056–59 तथा संवत् 2060–63 तथा संवत् 2064–67 तथा संवत् 2067–70 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

उक्त समस्त दस्तावेजात्, प्रार्थीगण के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता व तहसीदार ब्यावर की बहस व प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार यह पाया गया है कि प्रार्थी की ग्राम देलवाड़ा स्थित खातेदारी की भूमियां खसरा संख्या 1475/1 रकबा 00–17–10 किस्म बा.2, खसरा संख्या 1476/1 रकबा 01–09–00 किस्म बा.2 व खसरा संख्या 1478 रकबा 01–14–10 किस्म बा.2 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है जिसमें आने जाने हेतु रास्ते के रूप में मौजूद है जो तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट में भी अंकित किया है। अलावा इसके प्रार्थी के यह कथन कि वे काश्त करते है जो गलत प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ग्राम देलवाड़ा की खसरा गिरदावरी संवत् 2052–55 तथा संवत् 2056–59 तथा संवत् 2060–63 तथा संवत् 2064–67 तथा संवत् 2067–70 जिसके प्रथम कॉलम (नाम खनिज खेतों की संख्या) में अंकित खसरा संख्या 1475/1, 1476/1 व 1478 बाबत् कॉलम संख्या 8 में कोई काश्त किया जाना अंकित नहीं है अर्थात् उक्त प्रस्तुत खसरा गिरदावरी अनुसार वर्ष 1995 से 2013 तक किसी प्रकार की कोई फसल प्रार्थीगण

.....लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

द्वारा काश्त किया जाना दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त भी प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी की भूमियों में आने जाने हेतु खसरा संख्या 2256/1460 में से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो कि तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 से भी स्पष्ट होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 21.08.2020 को कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर